बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 170360 पटना, दिनांक 4-12-13

ग्रा0 वि05/ सा0आ0जन0(आप0)-162/2011

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य ससमय पूर्ण करने के संबंध में ।**

महाशय,

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 का कार्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए शीघ्र पूर्ण करना अत्यावश्यक है ।

2. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के कार्य की नियमित रूप से राज्य स्तर से समीक्षा की जा रही है । समीक्षा के दौरान पायी गयी वस्तुस्थिति के आलोक में निम्नवत दिशानिर्देश दोहराए जा रहे हैं :-

(i) प्रारूप प्रकाशन की अवधि में जो दावे एवं आपत्ति प्राप्त हो रहे हैं उनकी COTS में प्रतिदिन के आधार पर प्रविष्टि की जाय ।

(ii) प्राप्त हो रहे दावे / आपत्तियों का निष्पादन तत्क्षण प्रारंभ किया जाय और हर परिस्थिति में प्राप्ति के 7 दिन के अंदर निष्पादन सुनिश्चित किया जाय ।

(iii) दावे / आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद दावे एवं आपत्ति प्राप्त नहीं किये जाय, जब तक कि किसी स्थानीय वैध कारण से जिला पदाधिकारी द्वारा प्रारूप प्रकाशन की अवधि में विस्तार नहीं किया गया हो ।

(iv) दावे एवं आपत्ति समूह में प्राप्त नहीं किये जाय ।

(v) दावे एवं आपत्ति का निष्पादन करके उसकी प्रविष्टि हाथों-हाथ COTS पर की जाय ।

3. जिन जिलों में 8 दिसम्बर 2013 के पूर्व प्रारूप प्रकाशन हो गए हैं, उनमें पूर्व निर्धारित समय अवधि के अनुसार दावे / आपत्तियों का निष्पादन किया जाय । लेकिन जिन जिलों में 8 दिसम्बर के बाद प्रारूप प्रकाशन हो रहा है, वहाँ अधोलिखित निर्धारित समयावधि में दावे / आपत्तियों का निष्पादन किया जाय ।

प्रारूप प्रकाशन की तिथि	दावा/ आपत्ति प्राप्ति की अवधि	दावा/ आपत्ति के निष्पादन की अवधि	अंतिम सूची के प्रकाशन की अवधि
(D1)	(D1 से D21 तक)	(D1 से D40 तक)	(D40 से D45 तक)

4. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना को ससमय पूर्ण करने हेतु जिला पदाधिकारी प्रतिदिन इसकी समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तायुक्त कार्य संपन्न हो ।

इसे अत्यावश्यक और महत्वूपर्ण समझें ।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार